न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 189/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गोविन्दसिंह पुत्र खीयाराम		1. पेमाराम पुत्र माधुराम
2. जगदीशसिंह पुत्र खीयाराम		2. कानाराम पुत्र माधुराम
3. श्यामसिंह पुत्र खीयाराम		3. पुखाराम पुत्र मानाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल		4. अणदाराम पुत्र मानाराम
5. गिरधारीसिंह पुत्र रणजीतसिंह		5. मोहन पुत्र मानाराम
6. दामोदर पुत्र अमोलकचन्द		6. ओमप्रकाश पुत्र धेवर जातियान–माली,निवासी–आ0 कालू तह0–जैतारण, जिला–पाली राज0
7. मूरलीधर पुत्र अमोलकचन्द		
8. सत्यनारायण पुत्र अमोलकचन्द		
9. जगदीशसिंह गोद पुत्र कल्याणसिंह		7. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली राजस्थान
10.ढगलसिंह पुत्र बालूजी		
11.किशनसिंह पुत्र बालूजी		
12. नन्दकिशोर पुत्र बालुजी		
13.जुगलकिशोर पुत्र बालुजी जाति–राजपुरोहित, निवासीगण आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0		

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.03/10/2017**

उपस्थितः. 1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/03/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राज0 की सीमा मे निम्नलिखित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि राजस्व ग्राम आ0 कालू, पटवार हल्का–आ0 कालू, प्रथम तहसील–जैतारण जिला–पाली वाके खसरा नम्बर 907 रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि को वादपत्र मे आगे आराजी मुतदाविया के नाम से सम्बोधन किया जावेगा। नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तथा नक्शा ट्रेस की प्रति साथ पेश है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया मे वादी संख्या एक से तीन का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या चार व आठ का 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या नो जगदीशसिंह गोद पुत्र कल्याणसिंह का 1/8 हिस्सा वादी संख्या दस से तेरह का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक से छह का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार से उक्त जमीन मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण की अविभाजित संयुक्त खोतदारी की कृषि भूमि है। जिसका नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ प्रस्तुत है जिसमें केसरिया रंग से बताया गया भाग वादी संख्या एक से तीन गोविन्दसिंह, जगदीशसिंह व श्यामलाल का 1/4 हिस्सा दर्शाया गया है तथा सफेद रंग से दर्शाया भाग वादी संख्या नो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जगदीशसिंह गोद पुत्र कल्याणसिंह का 1/8 हिस्सा है तथा हल्के लाल रंग से दर्शाया भू भाग वादी संख्या दस से तेरह ढगलसिंह, किशनसिंह, नन्दकिशोर, जुगलकिशोर पिसरान बालूजी का 1/8 हिस्सा है तथा फिरोजी रंग से दर्शाया भू भाग वादी संख्या चार से आठ ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल, दामोदर, सत्यनारायण, मूरली पुत्रगण अमोलकचंदजी, गिरधारीसिंह का 1/4 हिस्सा है एवं पीले रंग से दर्शाया भू भाग प्रतिवादी संख्या एक से छह का 1/4 हिस्सा है तथा मौके पर इसी कदर काबिज होकर काश्त करते है। नजरी नक्शे को वादपत्र का एक भाग माना जावे। जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 मे उक्त जमीन मुतदाविया पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की दर्ज है मगर पक्षकारान इन खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि पर अपने खातेदारी हक तथा हिस्सानुसार माना जाना काबिज है तथा काश्त करते है। इसलिये वादपत्र के पेरा संख्या एक मे दर्ज खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि हेतु ही तकासमा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस हेतु खिलाफ प्रतिवादीगण पेश है। जमीन मुतदाविया का राजस्व रेकर्ड व मौका अनुसार पक्षकारान के बीच मे बंटवाडा बाई मिटस बाउण्डस के नहीं हो रखा है तथा जमीन मुतदाविया पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की होने से पक्षकारान एक दुसरे के सहहिस्सेदार व सहखातेदार है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तथा नक्शा ट्रेस से साबित है। वादीगण अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि पर उन्नत तरीके से काश्त करना चाहते है तथा किसी वितीय संस्था बैंक से ऋण लेकर या अपने हिस्से व खातेदारी भूमि पर बैंक से किसान केडिट कार्ड से भी लोन नहीं ले सकता है क्योंकि उक्त हिस्सेदार सहखातेदार प्रतिवादीगण वादीगण को अपनी सहमति भी नहीं देते है इसलिए वादीगण माफिक कानून बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के जमीन मुतदाविया का तकासमा कराकर अपना हिस्सा जरिए तरमीम के अलग कराने की दादरसी हेतु यह तकासमा आराजी का वादपत्र वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से तकासमा आराजी का वाद श्रीमान के समक्ष पेश है। वादीगण ने उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के नजरी नक्शे मे बताये अनुसार कानूनन बंडवाडा करवाने बाबत प्रतिवादीगण को दिनांक 17/08/2017 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हुए एवं वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि बिना बंटवाडा करवाये ही उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर देगे एवं वादीगण को उसके कब्जे हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगे। यदि प्रतिवादीगण बिना बंटवाडा करवाये ही सामालती अविभाजित कृषिभूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर देते है एवं वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं वादीगण अपने जायज हक हुको एवं अधिकारों से महरूम हो जायेगे तथा विविध प्रकारकी पेचीदगिया पैदा होगी जिससे मुकदमेबाजी बढेगी इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत वादीगण के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाता का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। यह वाद तकासमा आराजी की दादरसी का है तथा इसमे माफिक कानून राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर तहसीलदार जैतारण कानूनन आवश्यक पक्षकार होनेसे प्रतिवादी संख्या सात पक्षकार बनाकर वाद पेश है। विनाय दावा दिनांक 17/08/2017 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को नजरी नक्शे मे बताये हिस्से अनूसार बाई मिटस एण्ड

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बाउण्डस के कानूनी बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वाराकानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट रूप से मना करने एवं बिना बंटवारा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण आदि करने तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बेमुकाम आ0 कालू तहसील जैतारण मे पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार का है तथा अन्दर मियाद है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 07 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। बहस वकील वादीगण की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/208 दिनांक 19/02/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2018/1231 दिनांक 14/03/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा आ0 कालू, पटवार हल्का-आ0 कालू, प्रथम, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 907 रकबा 101-19 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गोविन्दसिंह जगदीशसिंह, श्यामसिंह पिता खीया 1/3हि. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल सत्यनारायण दामोदर मुरलीधर पिता अमोलकचन्द गिरधारी पुत्र रणजीत 1/3 हि. जगदीशसिंह गोद कल्याणसिंह 1/6 हि. ढ्गलसिंह किशनसिंह नन्दकिशोर जुगलकिशोर पिता बालू 1/6 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	907	76-09-00	बा0दो0	23.70 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

85/

2	पेमाराम कानाराम पिता माधुराम अणदाराम, पुखराज मोहन पिता मानाराम ओमप्रकाश पिता घेवर कौम माली सा0 देह खातेदार।	907/1	25-10-00	बा0दो0	7.90 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंट्वाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner